International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232
Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2017; Page No. 68-71

21 वीं सदी में हिन्दी का समसामयिक परिदृश्य : एक विमर्श

राजकुमार लहरे
सहायक प्राध्यापक, शासकीय पी डी वाणिज्य एवे कला महाविद्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत।

सारांश
भाषा वाणी का परिधान तथा ध्वनि का प्रतीक है, जिसे मन पहनता है। भाषा मूलतः विचार विनिमय के साधन है। भाषा से ही व्यक्ति के मन का संस्कृत/असंस्कृत होने का पता चलता है। जिसे भारतेन्दु जी ने सर्वांगीण विकास का मूल कहा– 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल'।[1] तब हिन्दी प्रदेश तथा वहॉ के भाषायी संस्कृति, विचार विनिमय व संर्वांगीण विकास के मुख्य धारा का सम्यक् परिज्ञान समसामयिक संदर्भ में और अधिक अपरिहार्य हो जाता है। भाषा का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत/सामुहिक भाव, विचारों को लक्ष्य तक पूर्णतः सम्प्रेषित करना है। इसीलिए हिन्दी भाषा का विकासात्मक स्तर में विविध रूप देखने को मिलता है। तथा हिन्दी भाषा समय के अनुरूप बदलाव को स्वीकार करता हुआ स्वयं को उसी रूप में ढालता गया है।

मूल शब्द: समसामयिक, संस्कृति, विकासात्मक, भाषा

प्रस्तावना
हिन्दी भाषा का विकास मातृभाषा, बोली, विभाषा, अपभाषा, भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संम्पर्क भाषा से होता हुआ; आज विश्व भाषा का स्वरुप धारण करने लगा है। हिन्दी भाषा अप्रवासियों के भाषा भी रहा है। अतः आज हिन्दी भाषा का मूल्यांकन करने के लिए राज्य, देश के भौगोलिक सीमाओं के साथ–साथ वैश्विक परिदृश्य तथा संस्कृति में प्रभाव व विस्तार के साथ अध्ययन आवश्यक है। आज हिन्दी भाषा का उपयोग पुरातन से आधुनिक विषयों के लिए समान रूप से हो रहा है। यदि संस्कृत भाषा को कम्प्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा के लिए उपयुक्त पाया गया है, तो हिन्दी का भी योगदान कम नहीं। आज हिन्दी को एक नये कलेवर की जरुरत है। जिसमें शोधार्थी द्वारा शोधप्रबंध लेखन/पठन/अविष्कार किया जा सके। जिससे हिन्दी प्रदेश के छात्र/छात्राओं को समझने में आसानी होगी। इसके लिए मूल ग्रंथों/शोधपत्रों का अनुवाद हो, विश्वस्तरीय संगोष्ठी, कार्यशाला तथा भाषाशोध केन्द्रों की स्थापना हो। इसके लिए हिन्दी को एक संम्पर्क भाषा के रुप में खड़ा करना होगा। जिससे हम विदेशियों के निर्माण व अविष्कार पर निर्भर न रहकर स्वयं सोच/विचार में नई दृष्टि डाल सके। शोधार्थी मातृभाषा में अपना शोध पत्र तैयार कर गर्व से देश–विदेश में प्रस्तुत कर सकेंगे और 21वीं सदी में कला और विज्ञान का चहुॅमुखी विकास हो सकेगा। वास्तव में हिन्दी भाषा भारतीय जीवनशैली है, एक धारा है जिसमें साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन सब समाहित है।

देश में सूचना क्रांति आने के बाद विभन्न माध्यमों से श्रव्य टेप, डेक, एमपी–3, रेडियो, रिर्काडिंगस्। दृश्य साधन– विडियो, प्रोजेक्टर, क्लीप आदि तथा दृश्य–श्रव्य माध्यमों चलचित्र, कम्प्यूटर परिचालन के लिए हिन्दी का उपयोग हो रहा है। देश के आर्थिक समृद्वि के लिए व्यापारिक विज्ञापनों, पोस्टर, बेनर, दिवाल में नारा लेखन, पत्र–पत्रिकाओं में तथा श्रव्य दृश्य माध्यमों में सूचनार्थ संदेश सुनने पढ़ने व देखने को मिलता है। यह सब हिन्दी की ग्राहकता व संप्रेषिणीयता को उद्घाटित करता है। आज देश के सभी प्रांतों में न्यूनाधिक हिन्दी को बालते व समझते हैं। इसीलिए इसे राष्टभाषा का सैंध्दांतिक दर्जा प्राप्त हुआ है। भाषा शास्त्रियों के मतानुसार हिन्दी भाषा का विकास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तरप्रदेश प्रांतों के क्षेत्रीय बोलियों/भाषाओं से हुआ है। अतः हिन्दी बोलियों का समूह है। हिन्दी को खड़ीबोली भी कहा जाता है। बोली से भाषा तक का सफर ही हिन्दी का विकासात्मक विस्तार है। उर्दू व अंग्रेजी घुसपैठिये की भाषा है। जिससे हम आज भी गुलाम हैं इससे हमारा कुछ भी विज्ञापित नहीं हो पाता।

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति
हिन्दी भाषा भारोपीय परिवार की है। इस परिवार को 'इंन्डो–जर्मनिक' इन्डो– केल्टिक' तथा आर्य भाषा नामों से जाना जाता है। ब्रान्देष्ताइन ने शरोपीय शषा परिवार यूराल पर्वत के दक्षिण–पूर्व में किरकीज के मैदानी भाग को शरोपीय लोगों का मूल स्थान माना है। .....वहीं से धीरे–धीरे षाखों में विभक्त होकर एशिया, अफ्रीका, आस्टेलिया महाद्विपों में फैल गया। शरोपीय शषा परिवार दो वर्ग में बॅटा– क. सतम् वर्ग ख. केंतुम् वर्ग। सतम् वर्ग की एक शाखा शरत–ईरानी अपने को आर्य कहते थे। भारत–इरानी लोग अपने मूल स्थान से चलकर ओक्सस धाटी के पास आये। वहॉ से एक वर्ग ईरान चला गया। दूसरा कश्मीर तथा तीसरा भारत की ओर। आर्यों के आगमन के पूर्व भारत में नेग्रिटो, आस्टिक, किरात, द्रविड़ भाषा प्रचलित थे। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ 1500 ई. पू. से होता है। जिसे निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते है–

1. प्राचीन आर्य भाषा काल– 1500–500 ई. पू.
2. मध्यकालीन आर्य भाषा काल– 500 ई. पूं.– 1000 ई.
3. आधुनिक आर्य भाषा काल– 1000 ई.– अब तक।

अर्थात् हिन्दी भाषा का विकास आधुनिक आर्य भाषा से हुआ है। जिसे निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है–
हार्नले ने चार वर्गों में बॉटा–

1. पूर्वी गौडियन अर्थात् पूर्वी हिन्दी बिहारी, बॅगला, असमी, उड़िया।
2. पश्चिमी गौडियन– पश्चिमी हिन्दी अर्थात् राजस्थानी, गुजराती,

सिन्धी, पंजाबी।
3. उत्तरी गौडियन– गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी।
   दक्षिण गौडियन– मराठी।
4. ग्रिर्यसन के अनुसार– 1. बाहरी उपशाखा 2.मध्यवर्गी उपशाखा 3.भीतरी उपशाखा

हिन्दी भाषा का स्वरुप

हिन्दी भाषा2. का इतिहास विविध सोपानों से होता हुआ आज जिस मुकाम पर पहुँचा है वह अपने आप में गौरवपूर्ण व विशिष्ट है। हिन्दी क्षेत्रीय संस्कृति को हृदयंगम करता हुआ आज एक वैश्विक जीवनशैली बन गया है। हिन्दी शब्द की उत्पत्ति को देखने से स्पष्ट हो जाता है– हिन्दी शब्द का संबंध संस्कृत शब्दसिन्धु से माना जाता है। सिंन्धु सिन्ध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिन्धु कहने लगे। यह सिन्धु शब्द ईरानी में जाकर हिन्दू और फिर हिन्द हो गया। इसका अर्थ हुआ सिन्ध प्रदेश बाद में इरानी भारत के अधिक भागों से परिचित होते गये और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिन्द शब्द पूरे भारतवर्ष का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का ईक प्रत्यय लगने से हिन्दीक बना, जिसका अर्थ है 'हिन्द का' ।

ध्वनि और लिपि का अंर्तसंबंध

लिपि ध्वनि का प्रतीक है और वर्ण मानवीय भावों के प्रकटन का माध्यम है। वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य वाक्य से अनुच्छेद और अनुच्छेद से रचना। मानव सभ्यता विकास मूलतः लिपि का विकास है। अव्यक्त को व्यक्त करने का साधन यह लिपि का इतिहास भाषा के विकास के साथ जुड़ हुआ है। हिन्दी भाषा में एक ध्वनि के लिए एक लिपि है–

स्वर तथा व्यंजन

अ.....अः तथा क.....श्र तक। इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, नेपाली, मराठी, एवं क्षेत्रीय बोलियों को लिखा जाता है।

हिन्दी भाषा का विकास

यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी इंडिया आदि इस हिन्दीक का ही विकसित रुप है। 'हिन्दी भी हिन्दीक का ही परिवर्तित रुप है और इसका मूल अर्थ है हिन्द का। इस प्रकार यह विशेषण है लेकिन भाषा के अर्थ में यह संज्ञा हो गया।

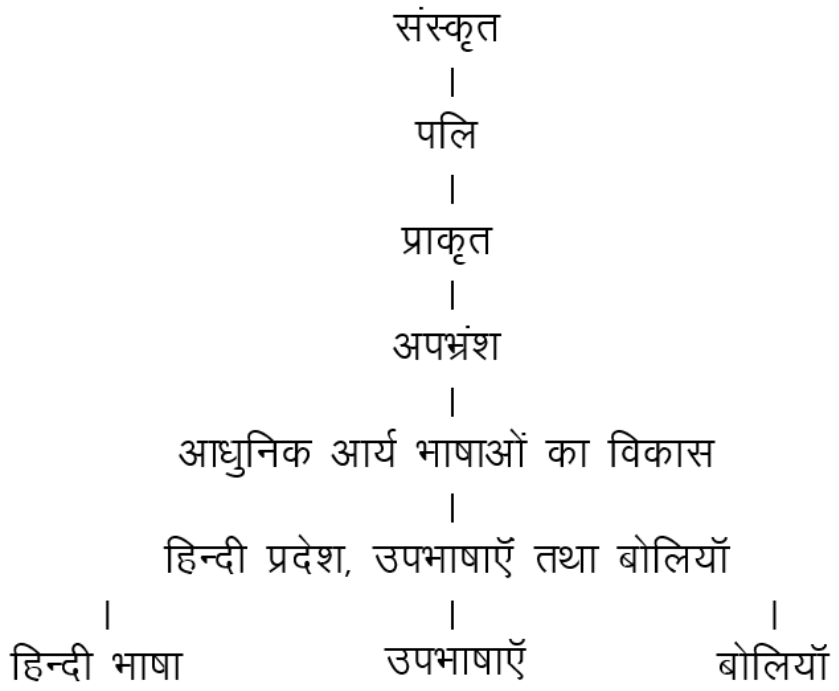

1. पश्चिमी हिन्दीः– 1. खड़ी बोली या कौरवी, 2. ब्रज भाषा, 3. हरियाणी, 4. बुन्देली, 5. कन्नौजी
2. पूर्वी हिन्दीः– 1. अवधी, 2. बघेली, 3. छत्तसगढ़ी
3. राजस्थानीः– 1. पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, 2. पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, 3. उत्तरी राजस्थानी मेवाती, 4. दक्षिणी राजस्थानी मालवी
4. पहाड़ीः– 1. पश्चिमी पहाड़ी, 2. मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाउनी–गढ़वाली
5. बिहारीः– 1. भोजपुरी, 2. मगही, 3. मैथली ।2

उपरोक्त विवरण हिन्दी भाषा का विकास है, साहित्य का नहीं। क्योंकि हम बोलियों या उपभाषाओं का स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। जैसे– ब्रज बोली और साहित्य का स्वतंत्र अध्ययन होता है तथा हिन्दी का स्वतंत्र तब ब्रज और हिन्दी अलग–अलग स्पष्ट होता है। खड़ीबोली और हिन्दी भाषा पर तुलनात्मक दृष्टिकोण– कौरवी, खड़ीबोली, दक्खिनी हिन्दी या हिन्दी भाषा का व्याकरणिक तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान परिदृश्य में अनिवार्य हो जाता है। वस्तुतः बोली से भाषा तक का सफर हिन्दी भाषा को समझने के लिए आवश्यक है। बोली किसी भी भाषा का पूर्व रुप होता है। अतः बोली में वह सब स्पष्ट दिखायी नहीं देता जो भाषा में दिखता है। तब भाषा अध्ययन के लिए बोली का सम्यक् ज्ञान होना चाहिए। इसी तारतम्य में हिन्दी भाषा के अध्ययन के लिए खड़ीबोली और हिन्दी का सामान्य तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत् बिन्दूओं पर किया जा सकता है–

वर्ण– स्वर एवं व्यंजन का अध्ययन
संज्ञा– संज्ञा शब्दों का अध्ययन
विशेषण–विशेष्णों का अध्ययन
किया– किया एवं किया विशेषणों का अध्ययन
विभक्ति– विभक्ति चिन्हों का अध्ययन

हिन्दी भाषा और संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में धारा 343 से 351 तक में स्पष्ट प्रावधान है कि स्वतंत्र भारत के राजभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तथा जिसे भारत के अधिकांश लोगों के बोलचाल अर्थात विचार विनिमय के साधन है। जो भाग– 3 अनुच्छेद 29–30, भाग– 5 अनुच्छेद 120, भाग– 6 अनुच्छेद 210, भाग– 17 अनुच्छेद 343–351, भाग– 22 अनुच्छेद 394 क तथा आठवीं अनुसूची में उधृत भाषाएं– असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिन्धी, हिन्दी, नेपाली, कोंकड़ी, मणिपुरी। मैथली, डोगरी, बोडो, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

अनुच्छेद 343 – 1 संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। तथा प्रयोग होने वाले अंको का रुप भारतीय अंकों का अंतर्राष्टीय रुप होगा। 15 वर्ष तक शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो पहले प्रयोग करता रहा है, होता रहेगा। संसद उक्त कालावधि के पश्चात वांछित परिर्वतन कर सकेगा।

अनुच्छेद 344 – राजभाषा आयोग और संसदीय यमिति बनाने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 345 – संघ की राजभाषा राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान निहित है।

अनुच्छेद 346 – संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्तसमय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच में संचाार के लिए राजभाषा होगी।

अनुच्छेद 347 – किसी राज्य की जनसंख्या का प्र्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाय तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी एक भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निदिर्ष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाय।

अनुच्छेद 348 – उच्चतम एवं उच्च न्यालयों में तथा अधिनियमों, विधियेकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान निहित है।

अनुच्छेद 349 – भाषा से संबंधित कुछ विधियॉ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रकिया का प्रावधान।

अनुच्छेद 350 – किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ्स या राज्य के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

अनुच्छेद 351 – किसी भाषा की प्रचार वृध्दि करना, उसका विकास करना, ताकि, वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। तथा बिना किसी हस्तक्षेप के किसी दूसरे भाषा से शब्द ग्रहण कर सके।

संसद में प्रयोग होने वाली भाषा

अनुच्छेद 120 – भाग 17 में किसी किसी बात के होते हुए भी किन्तु, अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंगेजी में किया जायेगा। किन्तु सीाापति/ अध्यच ऐसे सदस्य को जो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में करने का अनुज्ञा देता है।

विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा

अनुच्छेद 210 – भाग 17 में किसी किसी बात के होते हुए भी किन्तु, अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिन्दी में या अंगेजी में किया जायेगा। किन्तु सभापति/ अध्यक्ष ऐसे सदस्य को जो अपनी भाव पूर्ण अभिव्यक्ति हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में करने का अनुज्ञा देता है।

राजभाषा अधिनियम 1963

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों और उच्च नयायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लायी जा सकेगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम।

राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग, नियम 1976

केंद्र/राज्य तथा विभगों या व्यक्तियों के द्वारा आपस में व्यवहार/पत्रादि के लिए हिन्दी का प्रयोग करेगा लेकिन अन्य भाषायी के लिए सहभाषा के रुप में अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। और उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना होगा।

हिन्दी भाषा का मानकीकरण

हिन्दी भाषा का वर्तमान स्वरुप–हिन्दी भाषा की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। शब्द–सम्पदा, शब्द ग्रहण क्षमता, भाव संम्प्रेषणियता, बोधगम्यता के कारण आज हिन्दी एक जीवन शैली हो गया है। देश के बहुसंख्यक में पैठकर व्यापारिक भाषा, संचार की भाषा, वित्त की भाषा, मशीन की भाषा तथा कम्प्यूटर की भाषा बनता जा रहा है। अतः आज हिन्दी विश्व में विचार विनिमय के लिए सक्षम है। हिन्दी फिल्मों के बाजार का दायरा विश्व बन गया है और इसे देखने के लिए हिन्दी सीखते हैं। हिन्दी का साहित्य विश्व की धरोहर में शामिल होता जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि हिन्दी भाषा की महत्ता दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। आज हिन्गलिश की समस्या भी देखने को मिल रहा है जिसका सफल निदान समय रहते कर लिया जायेगा। भूमंडलीकरण के दौर में जब विश्व को एक ग्राम के रुप में माना जा रहा है। तब हिन्दी भाषा शी इससे अछुता नहीं है।

हिन्दी का विविध स्वरुप

हिन्दी बोलियों का संघ होने के कारण हिन्दी का विविध रुप देखने के मिल सकता है। मराठी हिन्दी–मिंदी, गुजराती हिन्दी–गुंदी, पंजाबी हिन्दी–पिंदी, राजस्थानी हिन्दी, तमिल हिन्दी–तिंदी, हैदराबादी हिन्दी, बम्बइया हिन्दी, शिलंगी हिन्दी, दक्खिनी हिन्दी, देहलवी हिन्दी, कलकतिया हिन्दी और भारेत्तर हिन्दी में मारिससी हिन्दी, फीजी हिन्दी, नेपाली हिन्दी, सूरीनामी हिन्दी, हॉलैंडी हिन्दी, त्रिनिदादी हिन्छी, गुयानी हिन्दी, दक्षिण अफ्रीकी हिन्दी, त्ाुज्बेंकी

हिन्दी आदि इसी तरह हिन्दुस्तानी हिन्दी, उर्दू मिश्रित हिन्दी, आध्यपकों/प्राध्यपकों की प्राध्यापकीय हिन्दी, अंग्रेजी चैनलों का हिन्दी, पत्रकारों, संम्पादकों का हिन्दी, संचार माध्यमों का हिन्दी, मोबाइलों का रोमन मिश्रित हिन्दी–तुम मेरे थ्ठमत8 हो। अब व्याकरण के नजर से देखना बड़ी बात नहीं है। बल्कि जनसंख्या, मार्केट, मीडिया मिलकर एक नई भाषा में बदल रहे हैं। जो भाषा का भूमंडलीकरण को स्वीकारना होगा।

हिन्दी भाषा का भूमंडलीकरण

जब पूरी दुनिया में कोई सरहद नहीं, सीमाऐं नहीं, कोई दीवार नहीं हो तब भाषा को भी असीम होना होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संवाद हेतु मुद्रित वा वाचिक हो को एक ऐसी भाषा में विज्ञापित करना होगा जिससे प्रचार हो सके। इसके लिए विश्व शब्दकोष की जरुरत होगी। इससे बोलियों पर ठीक नहीं पड़ रहा है। क्योंकि नवयुवा पीड़ी बोलियों को अपने भाव विनिमय के लिए अनुपयुक्त पाता है। ग्लोबलाइजेशन आंचलिकता क्षेत्रीयता स्थानीयता का धुर विरोधी है। वैश्विक संबंध के बढ़ने के साथ–साथ बोलियॉ नष्ट होने लगेंगी तथा एक भाषा बनता जायेगा। हिन्दी कृतियों के अनुवादित रुप ही रह पायेगा।

हिन्दी भाषा में उपचारात्मक सुझाव

1. स्वरों की संख्या को अ, आ, इ, ई, उ,ए ऐ ओ,औ में नियम को शिथिल कर कम किया जाय।
2. व्यंजनों में समोच्चारितों को जैसे– छ, क्ष ढ, ढ़ तथा स श ष को समान रुप से मान्य किया जाय।
3. एक स्वर/व्यंजन के विभिन्न रुपों में से एक को निर्धारित किया जाय।
4. उच्चारणगत कठिनाईयों को देखते हुए, किसी न किसी तरह से स्वर/व्यंजनों की संख्या को कम करना होगा जिससे अन्य बोलियों या भाषा/भाषियों को हिन्दी सीखने व बोलने में आसानी हो।
5. हिन्दी को इस रुप में सक्षम व मान्य करना होगा कि, जिससे मानवीय भावों का सम्प्रेषण भलीभॉति हो सके। तभी हिन्दी का प्रचार–प्रसार अन्य भाषायी क्षेत्रों में हो पायेगा।
6. साहित्यिक शब्दों के स्थान पर बोलचाल के शब्दों का प्रयोग को बढ़ावा देना होगा।
7. वर्तनी व वाक्य संरचना में व्यवहारिक मापदण्ड को अपनाना चाहिए।

निष्कर्षः

आज हिन्दी भाषा का स्वरुप व कार्यक्षेत्र में पर्याप्त उत्तरदायित्वपूर्ण समृध्दि देखने को मिल रहा है। जो इसके भविष्य को रेखांकित करता है। गॉव की बोली से लेकर महानगर के शिक्षित लोगों के भाषा के रुप में प्रयोग किया जाना इस बात का द्योत्तक है कि, हिन्दी भाषा का विकास व भविष्य काफी उज्जवल है। हिन्दी को संचार भाषा बनना होगा, जिससे ज्ञान के वाहक बन सके। 21वीं सदी संचार का युग है और इस वैज्ञानिक युग में शिक्षा का माध्यम भी बनना होगा। इसके लिए अपने कलेवर में समय के साथ आवश्यक बदलाव करना होगा। तथा समाज के मांगों के अनुरुप ढलना ही होगा। व्यवहार व उच्चारणगत सुगमता के लिए प्रयास करना होगा।

संदर्भ सूची

1. तिवारी, डॉ भोलानाथ, भाषा विज्ञान 56वॉ संस्करण, 2012
2. जैन, डॉ संजीव कुमार, पत्रकारिता : सिध्दांत और व्यवहार
3. तिवारी, डॉ भोलानाथ, हिन्दी भाषा का इतिहास सं 2012
4. शर्मा, आचार्य देवेंद्र नाथ, भाषा विज्ञान की भूमिका सं 2008
5. बाहरी, डॉ हरदेव, हिन्दी भाषा, 2006
6. डॉ नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास
7. गुरु, कामता प्रसाद, हिन्दी व्याकरण
8. बसु, दुर्गादास, भारत का संविधान।
9. सिंह, कुमार वीरेंद्र परीक्षा मंथन, सामान्य हिन्दी 2006 जुलाई, 30।